<u>जनपद गाजियाबाद</u> **<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>** **<u>दिनांक 13.8.19</u>**

<u>थाना कविनगर पुलिस द्वारा फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बनाकर शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले 05 शातिर अभियुक्त मय अस्लाह व फर्जी शस्त्र लाईसेन्स सहित गिरफ्तार-</u> दिनांक 12.08.2019 को **थाना कविनगर पुलिस** को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक गाडी में चार – पाँच लोगो का एक गिरोह जो फर्जी लाइसेन्स बनाकर उसे जिलाधिकारी शाहजहांपुर के आफिस मे कर्मचारियों के मिली भगत से उस पर गलत तरीके से युनिक नम्बर देकर अपने लाईसेन्सी दुकान से रायफल/पिस्टल/ रिवाल्वर इत्यादि आधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराते है, जो हापुडं चुंगी की तरफ से NH 24 की तरफ जाने के लिए आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस टीम को चैकिंग हेतु डायमण्ड फ्लाई ओवर पर लगाया गया उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा 23.30 बजे रात्रि मे डायमण्ड फ्लाई ओवर पर आवश्यक बल प्रयोग कर 05 अभियुक्तगण को हिरासत मे लिया गया जिसका गैंग लीडर हरिशंकर अवस्थी है।

<u>संक्षिप्त विवरणः -</u>इस **<u>गैंग का सरगना हरिशंकर अवस्थी व उसका सहयोगी सदानन्द शर्मा निवासी शाहजहाँपुर है जो मौजूदा प्रधान भी हैं</u>** । इनके द्वारा जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय मे नियुक्त संविदा कर्मी पवनेश व श्याम बिहारी व अन्य कर्मियों से साठगांठ कर आनलाईन युनिक आईडी शस्त्र लाईसेन्सो पर दर्ज कराकर अपराधियों व संगठित गिरोहो को सप्लाई किया जाता था। शाहजहाँपुर के सहरामऊ उत्तरी थाने के सम्बन्धित शस्त्र लाइसेन्स रजिस्ट्रर वर्ष 2007 मे गायब हो गया था जिसके सम्बन्ध मे FIR दर्ज कराई गई थी। उस समय के अभिलेख न उपस्थित होने का फायदा उठाते हुये यह गैंग उस दिनांक के फर्जी लाइसेन्स बनाता था और उसे संविदा कर्मीयो के साठगां ठ से UID दिलवा देते था उसके बाद वह अपने सही पते पर उक्त शस्त्र को दर्ज करवाते थे <u>। ये फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बनाकर शस्त्र की खरीद फरोख्त करते थे तथा घर बैठे बिना पुलिस की जांच व वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना शस्त्र लाईसेन्स पर फर्जी हस्ताक्षर बना देते थे</u> तथा उस पर युनिक आईडी जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय मे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पवनेश व श्याम बिहारी की मिली भगत से डलवा देते थे जिससे शस्त्र लाईसेन्स असली लगे। 01 शस्त्र लाइसेन्स बनवाने मे 05 से 10 लाख रुपये लिये जाते थे जिसमे शस्त्र भी शामिल था। ग्राहको की सन्तुष्टि के लिये एक शस्त्र लाइसेन्स लेने का फार्म भरकर आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो कापी तथा फोटो ले लेते थे तथा शस्त्र लाइसेन्स 15 दिन में बनवाकर देने की बात कहते हुऐ कुछ पैसे एडवान्स मे ले लेते थे। <u>पकडे गये व्यक्तियों को इनके जुर्म धारा 420,467,468,471,120 B IPC व 3/25 A. Act से अवगत कराते हुऐ हिरासत पुलिस मे लिया गया। शेष वांछित अभियुक्तो व शस्त्र धारको की</u>

तलाश हेतु टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।   अभियुक्तगणो द्वारा अब तक सैकडो फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बनाकर शस्त्र बेचा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

(1) फुरकान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बिहारीपुरा कमला हाल वाली गली लाल क्वार्टर के सामने थाना विजयनगर गा0बाद

(2) संजय गर्ग S/o राजपाल गर्ग निवासी A – 3, सैक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गा0बाद

(3) विनोद पुत्र तेजराम सिंह निवासी मकान नं. 64 सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गा0बाद

(4) हरिशंकर अवस्थी S/o राजकुमार अवस्थी निवासी मौ0 कोट थाना खुटार जिला शाहजहांपुर

(5) सदानन्द शर्मा पुत्र रामाधार शर्मा निवासी अनाथा थाना पुआया जिला शाहजहांपुर

वांछित अभियुक्तगण-

1. पवनेश गौतम पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मौ0 तिहारजई निकट मलिक मानटेशरी स्कूल शाहजहांपुर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
2. श्याम बिहारी पुत्र शहजदेलाल निवासी म0न0- 342 आनन्दपुरा कालौनी थाना कोतवाली शाहजहाँपुर जिला शाहजहाँपुर

अभियुक्तगण से बरामद शस्त्र लाइसेन्स व शस्त्र-

1. 01 पिस्टल .32 बोर रंग काला जिस पर पिस्टल नम्बर 189112867 - .32 बोर लिखा है। बरामद हुआ। तथा पैन्ट की बायी जेब से एक कीपैड वाला नोकिया का रंग पीला मोबाईल तथा 12500 रु0 मिले।
2. एक रिपीटर गन 12 बोर जिस पर गन नम्बर 31605/13 लिखा है। तथा लोअर की जेब से 40 हजार रुपये एक सैमसंग का मोबाईल माडल नम्बर SMA71OFD रंग गोल्डन तथा एक काले रंग का माइक्रोमैक्स का कीपैड वाला मोबाईल
3. 01 काले रंग का पिस्टल .32 बोर जिस पर पिस्टल नम्बर 18913066 लिखा है। मिला तथा लोवर की दायी जेब से एक गस्त लाइसेन्स जिस पर कृतिम प्रति श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र तेजराम निवासी ग्राम सुलतानपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर नम्बर 189113066 - .32 बोर तथा 31/12/2020 Date of Laicence expire लिखा है। तथा दूसरी लोवर की जेब से 30 हजार रुपये बरामद हुऐ।

4. 01 पिस्टल .32 बोर नम्बर 1902103130 - .32 इण्डियन आरडीनेन्स फैक्ट्री लिखा है। बरामद हुआ तथा लोअर की बायी जेब से 50000 हजार रुपये तथा दाहिनी जेब से एक वीवो का मोबाईल रंग काला मिला।
5. एक काले रंग का पिस्टल .32 बोर का जिस पर पिस्टल नम्बर 189112106 लिखा है। ओर अभियुक्त से 47500 रु0 नकद बरामद हुऐ
6. अभियुक्तगणो के कब्जे से 01 वाहन (xcent) रजिस्ट्रेशन नं. HR 26 CS 1958 बरामद।
7. समस्त अभियुक्तगणों से **17 शस्त्र लाइसेन्स की छायाप्रति मिली** जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

(1) UINID – 330061001926382019 लाइसेन्स नं. 3503 श्री दीपेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री पी0सी0 सक्सेना नि0 ग्राम चतुरपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर SBBL No. 33997 – 12 बोर License ex. 31/12/2019 प्रभारी अधिकारी कृते मिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर

(2) UIN 330170032265482017 सीरियल नं. 3498 श्री संजय त्यागी पुत्र राजेश्वर त्यागी नि0 ग्राम सपध थाना सेहरामऊ उत्तरी शाहजहाँपुर N.P. बोर 947922 .30 बोर

(3) UIN No. 330061001925782019 अरुण गोविल पुत्र श्री कुशलपाल सिंह नि. ग्राम सुलतानपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर SBBL 78892 – 31/12/20 लिखा है।

(4) UIN No. 330170022413022015 दीपेश सक्सैना पुत्र पी0सी0 सक्सैना नि0 ग्राम चतरपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी शाहजहाँपुर SBBL गन 3399730122020 प्रभारी अधिकारी कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर (5) UIN No. 330170026703502015 संजय त्यागी राजेश्वर त्यागी नि. ग्राम सपहा थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नं. 159107313 – 32 बोर

(6) UIN No. 330170032265472017 श्री पिन्टू सिंह S/o कुरर्री सिंह नि0 ग्राम सेहरामऊ उत्तरी थाना सेहरामऊ उत्तरी शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल 18911966 – 32 बोर उत्तर प्रदेश 13/1/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(7) UIN No. 330061001925682019 शेखर राव S/o मनोहर राव नि0 ग्राम सुलतानपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नं. 180207785 – 32 बोर भारत वर्ष 31/12/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(8) UIN No. 330170032083752016 पवन गर्ग राजपाल गर्ग निवासी ग्राम प्रसादपुर फार्म थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नं. 190210745 – 32 बोर उत्तर प्रदेश 30/12/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(9) 33061001623082019 श्री नरेन्द्र सिंह S/o श्री सयुन्द्र सिंह नि. ग्राम किशनपुर हरिपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश 31/12/2021 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(10) UIN No. 330060034852632018 द्वितीय प्रतिलिपी नवीन कुमार पुत्र जानेश्वर त्यागी निवासी ग्राम प्रीतमपुरा थाना सेहरामऊ उत्तरी शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नं. 199114115 – 32 बोर भारत वर्ष 25/12/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है

(11) UIN No. 330170031736202016 द्वितीय प्रतिलिप श्री अमित पुत्र ज्ञानेश्वर त्यागी नि. ग्राम वाटी कुझिया थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल D – 9282M – 32 बोर उत्तर प्रदेश 9/9/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(12) UIN 336140020038532015 श्री गजेन्द्र पुत्र श्री हरिशचन्द सिंह निवासी ग्राम सेहरामऊ उत्तरी थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल No. 865065 उत्तर प्रदेश 31/12/2021 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(13) UIN No. 330170034243402018 श्री सतेन्द्र त्यागी S/o आनन्द स्वरुप त्यागी निवासी ग्राम जोगरामपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नम्बर D – 7916M0 32 बोर भारत वर्ष 30/12/2019 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(14) UIN No. 330061001925582019 राकेश यादव S/o श्री करण यादव थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नम्बर 18911 – 3030 – 32 बोर भारत वर्ष 31/12/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(15) UIN No. 330061001928028019 दीपक S/o विजय कुमार निवासी महादेव माती थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नं. 2856 – 32 बोर भारत वर्ष 31/12/19 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(16) UIN No. 336140014106802015 राहुल यादव पुत्र शाहमल यादव निवासी ग्राम धन सिंह पुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहाँपुर N.P. बोर पिस्टल नंम्बर A 5488MO – 32 उत्तर प्रदेश 31/12/2019 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

(17) सीरियल नं. 3403 श्री संजय यादव पुत्र श्री लकेशरी यादव नि. ग्राम किशनपुर हरीपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला शाहजहाँपुर N.P. बोर रायफल नं. AB 1701088 – 315 बोर भारत वर्ष 31/12/2020 प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर लिखा है।

एन0एच0ए0आई0 में कार्यरत कम्पनी के प्लांट से निर्माण सामग्री चोरी करने वाला फरार शातिर अपराधी गिरफ्तार- APPCO INFRA TECHPVT. LTD. के प्रबन्धक श्री सैय्यद जकी हैदर पुत्र श्री रफी हैदर द्वारा थाना मसूरी पर सूचना दी गयी कि उनकी कम्पनी द्वारा NHAI द्वारा निर्माणाधीन NH-24 में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनकी कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा चोरी से कम्पनी के डासना स्थित प्लान्ट से रोडी / डस्ट व अन्य निर्माण साम्रगी चोरी कर बेचा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 10/8/19 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक साथी फरार हो गया था

आज दिनांक 13/08/19 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर **थाना मसूरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए** फरार अभियुक्त राजेश कुमार को कब्रिस्तान रोड डासना से समय 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि `` मैने धर्म काँटे पर घटतोली कराकर रोडी / डस्ट (निर्माण सामग्री) को अपने आर्थिक लाभ के लिए पूर्व मे गिरफ्तार साथियो के साथ मिलकर कम दामो पर बेच दिया था दिनांक 10/08/19 जो माल रोडी /डस्ट (निर्माण सामग्री) बरामद हुआ था। उसे भी मेरे द्वारा बिकवाया गया था।`` इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 559/19 धारा 381/411 भादवि मे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राजेश पुत्र जेतू तेली निवासी पेरू सरैईया थाना कूडेभार जिला सुल्तानपुर

चोरी की बाईक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार - थाना **लोनी पुलिस** द्वारा दिनांक 12.08.19 को समय 21:47 बजे जिन्दल रोड अजय फर्नीचर के पास से अभियुक्त सिब्बा उर्फ सैफ पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी मिल्क थाना लोनी गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 01 चोरी की बाईक नं0 डीएल5एसयू 2781 मु0अ0सं0 784/19 धारा 379,411 भदवि थाना लोनी गा0बाद से सम्बन्धित बरामद हुयी है।

दोहरे हत्या काण्ड का खुलासा, 03 अभियुक्तगणो नाजायज अस्लाहो (तमन्चा मय कारतूस) सहित गिरफ्तार -दिंनाक 13/8/2019 को **थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस** द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय प्रातः 4.10 बजे गेट नं0 02 ट्रौनिका सिटी से 3 नफर अभि0गण को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज व एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय 2 अदद कारतूस जिन्दा बरामद हुये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 5/8/019 को वादी श्री सुधीर शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी खराना एंकलेव पूजा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात बदमाशो के द्वारा वादी के घर में पानी पीने के बहाने घुसना वादी के पिता द्वारा घर के अन्य सदस्यो को जगाना के विरोध करने

पर वादी के पिता धर्मवीर शर्मा को गोली मारदेना शोर शराबा सुनकर पडोस के अन्य लोगो के आ जाने पर सोनू पुत्र अशोक व बाबू पुत्र अशोक नि0गण खुराना एंकलेव पूजा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को गोली मार देना जिससे वादी के पिता धर्मवीर शर्मा व सोनू की जी0टी0वी0 अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो जाना व बाबू का इलाज जी0टी0वी0 अस्पताल दिल्ली में चलना पर मु0अ0सं0 495/19 धारा 457/307/302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रभरी निरीक्षक सुभाष सिंह द्वारा की जा रही है

<u>पूछताछ का विवरण</u> - गिरफ्तार अभि0गण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे द्वारा खुराना इन्कलेव पूजा कालोनी मे लूट करने हेतु एक मकान चिन्हित किया गया था जब हम रात्रि मे घटना करने के लिए उक्त मकान पर आय़े तो मकान मालिक घर के बाहर सो रहा था दुकान का शटर बाहर रखा था उस पर एक पन्नी लगी थी हम लोग उससे घुसने लगे तभी आहट पाकर मकान मालिक जग गया तो हम लोगो ने कहा कि हमे प्यास लगी है पानी पिला दो तब उसने दरवाजा खटखटा कर अपनी पत्नी से पानी मांगा जेसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला हम लोग अन्दर घुस गये । जिसका वह विरोध करने लगा तथा अपने घर मे सोये अन्य परिजनो को जगा दिया । हमने उसकी पत्नी से घर मे रखे जेवरात आदि कीमती सामान की जानकारी करने लगे तथा मकान मालिक का हाथ बांधने लगे इतने मे सारे परिजन शोर मचाकर हम लोगो से भीड गये इसका फायदा उठाकर महिला पडोसियो को जगाने बाहर चली गयी शोरगुल सुनकर हम लोगो ने भागना चाहा तभी मकान मालिक और उसके बेटे ने हमारे एक साथी को पकड लिया हम लोगो ने छुडाने का प्रयास किया लेकिन नही छोडा तब हम लोगो ने गोली मारकर साथी को छुडाकर लेकर भागे पडोस के लोग दरवाजे पर आ गये थे उन पर हम लोग फायर करते हुए भाग गये ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. जोगेन्द्र पुत्र रामफल नि0 निठौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
2.भुपेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उर्फ सुभाष नि0 हैदरनगर थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड
3. अंकुश पुत्र जोगेन्द्र नि0 निठौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- अभि0 जोगेन्द्र से एक अदद तंमचा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
2.-अभि0 भूपेन्द्र से एक अदद चाकू नाजायज

<u>आपराधिक इतिहास -</u>

1.मु0अ0स0-495/19 धारा 457/307/302 भादवि बनाम जोगेन्द्र   आदि 3 नफर उपरोक्त थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
2. मु0अ0स0 509/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनान जोगेन्द्र उपरोक्त थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
3. मु0अ0स0 510/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम भुपेन्द्र उपरोक्तथाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
4. मु0अ0स0 1517/19 धारा 454/380 भादवि बनाम जोगेन्द्र उपरोक्तथाना कविनगर गा0बाद